(भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

सा.का.नि...........संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद, राष्ट्रपति केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्,

1 (1) ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) (पांचवा संशोधन) नियमा, 2011 कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2 केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 की प्रथम अनुसूची में "बालकों की बीमारी अवकाश" शब्दों के बाद कालम 2 में क्रम संख्या (1) की जगह शिशु गोद लेना तथा शिशु देखभाल अवकाश के लिए "पैतृक अवकाश शिशु गोद लेने के लिए अवकाश, पैतृक अवकाश" जोड़ा जाएगा।

[फाइल संख्या 13026/[illegible]/2011-स्थापना(अवकाश)]

(ममता कुन्द्रा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23092695

पाद टिप्पणी: मूल नियमावली दिनांक 8 अप्रैल, 1972 के एस.ओ. संख्या 940 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा इसमें सबसे बाद में दिनांक 27 अगस्त, 2011 के द्वारा सा.का.नि. 648 (अ) द्वारा संशोधन किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली - 64